जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु

:– आम सूचना :–

विज्ञापन संख्या– 01/2023–24

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 4729 दिनांक– 04.06.07, ज्ञापांक–6440 दिनांक–17.07.12 नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012, ज्ञापांक–848 दिनांक–21.03.17 नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2017 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 2020, दिनांक – 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक– 1617, दिनांक– 17.03.2023 आलोक में पूर्व में प्रकाशित **विज्ञापन संख्या– 01/2021–22 (PR NO. 254526) को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए** सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत पद 1. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए कुल 05 पद, 2. तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के लिए कुल 04 पद, 3. तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के लिए कुल 11 पद, 4. लेखा सहायक के लिए कुल 04 पद, 5. कम्प्युटर सहायक के लिए कुल 05 पद एवं 6. ग्राम रोजगार सेवक के लिए कुल 27 पद के लिए आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/ अनारक्षित रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी नियुक्ति (मेधा सूची तैयार करने) हेतु निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन पत्र दिनांक–18.08.2023 से दिनांक–07.09.2023 को अपराह्न **05:00** बजे तक उप विकास आयुक्त–सह– **अतिरिक्त** जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा के कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के पते पर निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त/समर्पित एवं निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में अंकित करना आवश्यक है। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.jamtara.nic.inएवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, जामताड़ा।	उप विकास आयुक्त–सह– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा।	उपायुक्त–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा।

ज्ञापांक 884 /अभि0, दिनांक 16/08/2023

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उक्त आम सूचना सभी दैनिक समाचार पत्रों के एक दिन के संस्करण में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति से संबंधित आम सूचना एवं विस्तृत विवरणी को जिले के वेबसाईट www.jamtara.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, जामताड़ा।	उप विकास आयुक्त–सह– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा।	उपायुक्त–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा।

जिलाग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)अन्तर्गत संविदा आधारित पदों पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु

–: आम सूचना :–

विज्ञापन संख्या– 01/2023–24

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक– 4729 दिनांक– 04.06.07, ज्ञापांक–6440 दिनांक–17.07.12 नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2012, ज्ञापांक–848 दिनांक–21.03.17नियुक्ति सेवा शर्त कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली, 2017 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या– 2020, दिनांक – 09.04.2010 एवं यथा संशोधित ज्ञापांक– 1617, दिनांक– 17.03.2023 आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत पद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/ अनारक्षित निम्न रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी/संविदा अधारित नियुक्ति (मेधा सूची तैयार करने)हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता हैः–

क्र0	पदनाम	मासिक परिलब्धि	अनारक्षित	अ0क0वर्ग	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0	पि0व0	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	19500 /-	03	00	00	01	01	00	05
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19234 /-	01	00	02	01	00	00	04
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17520 /-	05	02	02	02	00	00	11
4	लेखा सहायक	10000 /-	02	00	02	00	00	00	04
5	कम्प्युटर सहायक	10000 /-	02	00	02	01	00	00	05
6	ग्राम रोजगार सेवक	7500 /-	06	02	18	00	01	00	27

नोट :– रिक्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकता है।

निर्देश एवं शर्ते

1. प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी–वर्ग–02/ तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)– वर्ग –02/तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)–वर्ग–03, लेखा सहायक–वर्ग–03, कम्प्युटर सहायक–वर्ग–03 एवं ग्राम रोजगार सेवक–वर्ग–03 की सेवा बिल्कुल अस्थायी एवं संविदा आधारित है तथा इसके स्थायी होने की कोई संभावना/प्रावधान नहीं है। अतः सेवा के स्थायीकरण/परिलब्धियों में वृद्वि इत्यादि अनावश्यक माँग पर सेवा समाप्त की जा सकती है।
2. आरक्षित कोटि (अ0क0वर्ग/अनु0जा0/अनु0ज0जा0/पिछड़ा एवं अ0प0वर्ग/निःशक्त श्रेणी) अभ्यर्थियों के दावे के लिए सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
3. **पदों में आरक्षणः–** अ0क0वर्ग/अनु0जा0/अनु0ज0जा0/पिछड़ा एवं अ0प0वर्ग तथा महिला/निःशक्तता एवं खेल–कूद के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्सम प्रवृत आदेशों के (जामताड़ा जिला के लिए प्रभावी) अनुसार निर्धारित किया जायेगा। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सूविधा नहीं दी जा सकेगी तथा वे अनारक्षित कोटि में परिगणित होगें।
4. **राष्ट्रीयता :–**आवेदक भारत का नागरिक हो।
5. **मेधा सूची :– जिला में तैयार मेधा सूची की अवधि 02 (दो) वर्षों की होगी।**
6. **शैक्षणिक योग्यता :–(प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए)**

(i) अनिवार्य योग्यता–सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिषत अंक के साथ उतीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उतीर्ण जिनका प्राप्तांक 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उतीर्ण हो तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii)अतिरिक्त योग्यता–

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान)अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0बी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0बी0एम0/ पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिया जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

b. एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 को कोटि में रखा जायेगा।

7. **शैक्षणिक योग्यता :–तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष पद के लिए)**

(i) अनिवार्य योग्यता–सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii)अतिरिक्त योग्यता–

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईन्स अतिरिक्त योग्यता होगी।

b. एम0सी0ए0/ एस0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

8. **शैक्षणिक योग्यता :–तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष पद के लिए)**

(i) अनिवार्य योग्यता–सरकारीमान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी तथा सिविल संकाय में बी0ई0/बी0टेक0 उत्तीण अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु योग्य होंगे।

(ii)अतिरिक्त योग्यता–

a. सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0/ बी0ई0/ बी0सी0ए0/ बी0एस0सी कम्प्यूटर/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/ पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

b. बी0सी0ए0 तथा समान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरुप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

c. एम0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुसार उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोडें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

9. **शैक्षणिक योग्यता :– (लेखा सहायक पद के लिए)**

(i) अनिवार्य योग्यता :–

14/08/23 14/8/2023 16/8

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम आनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उतीर्ण। सामान्य बी0कॉम उतीर्ण जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम0 किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम0 के कुल प्रतिशत में 5 घटा कर उसे बी0कॉम0 ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :–

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0कॉम0, बी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताऐं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

10. शैक्षणिक योग्यता :– (कम्प्युटर सहायक पद के लिए)

(i) अनिवार्य योग्यता :–

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे :–

बी0एस0सी0 कम्प्युटर ऑनर्स/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य/बी0सी0ए0/सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होने तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :–

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस अतिरिक्त योग्यता होगी।

एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताऐं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

11. <u>शैक्षणिक योग्यता :–(ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए)</u>

(i) अनिवार्य योग्यता–

सरकारीमान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इन्टरमिडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITIकी स्थिति में ITIके प्राप्तांक प्रतिशत को इन्टरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा :–

(ii)अतिरिक्त योग्यता–

a. सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी विषय/ संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/ सामान्य स्नात्तक/ बी0सी0ए0 तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/ पी0जी0डी0सी0ए0/ पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

b. स्नातक प्रतिष्ठा के प्राप्तांक प्रतिशत को 05 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी0जी0डी0सी0ए0/ पी0जी0डी0बी0ए0/ पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इन्टरमिडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

<u>नोट</u> :– अभ्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की UGC/AICTE/DBE से मान्यता संबंधित कागजात/ मार्कशिट को आवेदन के साथ कमबद्व रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में CGPA/ DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपने संबंधित

विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जाएगी।

12. आयु सीमा–दिनांक– 01.08.2023 तक न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम निम्नांकित तालिकानुसार होगाः–

क्र0	पदनाम	सामान्य अधिकतक आयु सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	2	3	4
1	अनारक्षित	35 वर्ष	40 वर्ष
2	पिछड़ा/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग	37 वर्ष	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग)	38 वर्ष	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष)	40 वर्ष	50 वर्ष

13. उपर्युक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकतानुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जा सकती है।
14. जिला चयन समिति, जामताड़ा द्वारा मेधासूची को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।
15. चयन संबंधी प्रक्रिया में जिला चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति किसी भी समय विज्ञापन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
16. प्रारंभिक चरण में नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कार्यावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जायेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी सेवा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
17. उपरोक्त सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जामताड़ा जिला के किसी भी प्रखंड/ पंचायत में करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
18. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/ कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेंगे, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी के सेवा की आवश्यकता नहीं होने पर वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
19. उपरोक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा किसी एक जिला में आवेदन दिया जा सकेगा तथा उसे आवेदन के साथ यह शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद विशेष हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया गया है। यदि उनका यह शपथ–पत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी तथा उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
20. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अपनी योग्यतानुसार आवेदन पत्र समर्पित कर सकेंगे। परन्तु अलग–अलग पद के लिए अलग–अलग आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
21. आवेदन हेतु प्रयुक्त लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में अंकित करना अनिवार्य होगा।
22. उल्लेखित सभी निदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने कि दशा में समर्पित अभ्यावेदन अमान्य मानकर निरस्त कर दिया जाएगा एवं इस हेतु किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
23. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
24. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला ~~स्तरीय~~ चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

14/8/23 14/8/23 16/8/23

25. **विज्ञापन संख्या– 01/2021–22 (PR NO. 254526) को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।** अतः पूर्व में आवेदन समर्पित किये सभी अभ्यार्थि यदि इच्छुक है तो उन्हे पुनः इस वर्तमान प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगां।

26. **आवेदन कैसे जमा करें :–** आवेदन पत्र दिनांक– 18.08.2023 से दिनांक 07.09.2023 को अपराह्न **05:00** बजे तक उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा के कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के पते पर सिर्फ निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त/ समर्पित एवं निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन हेतु लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम बड़े अक्षरों में अंकित करना आवश्यक होगा। नियुक्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.jamtara.nic.in एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, डी0आर0डी0ए0, जामताड़ा।	उप विकास आयुक्त सह– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा।	उपायुक्त–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, जामताड़ा।

आवेदन का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम...

2. अभ्यर्थी का नाम ....

3. पिता/पति का नाम...

4. स्थायी पता...

....

5. वर्त्तमान पता...

....

6. मोबाईल नम्बर ....

7. जन्म तिथि .... (मैट्रिक प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

8. उम्र दिनांक 01.08.2023 को वर्ष .... माह .... दिन ....

9. लिंग .... (पुरूष/महिला)

10. कोटि ....(अनारक्षित/अ0ज0जा0/अ0जा0/अ0पि0व0/पि0व0/अ0क0वर्ग श्रेणी के अभ्यार्थी समक्ष पदाधिकारी के स्तर का निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

11. स्थानीयता ....(समक्ष पदाधिकारी के स्तर का निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12. अनिवार्य योग्यता :–

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संथान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %
1	2	3	4	5	6

13. अतिरिक्त योग्यता :–

क्रम	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय/संथान का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक %
1	2	3	4	5	6

(नोटः– जो अभ्यार्थि शैक्षणिक प्रमाण–पत्र में CGPA/DGPA स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण करा कर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा साथ ही सभी शैक्षिणिक प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति क्रमवध रूप में संलग्न करेंगे।)

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य है किसी भी परिस्थिति में मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है।

पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकाएँ

आवेदक का हस्ताक्षर।

दिनांकः–.......................

14/08/23 14/8/2023

जिलाग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा।

—: शुद्धि पत्र :—

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जामताड़ा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संविदा आधारित स्वीकृत पद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्युटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार आरक्षित/ अनारक्षित निम्न रिक्त पदों के विरूद्ध अस्थायी/संविदा अधारित नियुक्ति (मेधा सूची तैयार करने) हेतु विज्ञापन संख्या– 01/2023–24 के तहत आमंत्रित आवेदन अंतर्गत आंशिक संशोधन किया जाता है:–

क्र0	पदनाम	विज्ञापन संख्या– 01/2023–24 अंकित मासिक परिलब्धि	संशोधित मासिक परिलब्धि
1	2	3	4
1	प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी	19500 /-	**23140 /-**
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	19234 /-	**22000 /-**
3	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	17520 /-	**19000 /-**
4	लेखा सहायक	10000 /-	**14300 /-**
5	कम्प्युटर सहायक	10000 /-	**14300 /-**
6	ग्राम रोजगार सेवक	7500 /-	**11000 /-**

O/C

नोट :– अन्य शर्तें पूर्व प्रकाशित विज्ञापन संख्या– 01/2023–24 विज्ञप्ति के अनुरूप ही रहेंगी।

23/08/23   23/8/2023   23/8/23

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जामताड़ा

ज्ञापांक– 901 /अभि0, दिनांक– 23.08.2023

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि नियुक्ति से संबंधित शुद्धि पत्र को जिले के वेबसाईट www.jamtara.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

23/08/23   23/8/2023   23/8/23

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
जामताड़ा।